राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/2071 दिनांक 03.05.2020

–: आदेश :–

गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश संख्याः 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 01.05.2020 द्वारा लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 17 मई, 2020 तक बढा दिया गया है एवं इस सम्बन्ध में विस्तृत गाईडलाईन दिनांक जारी की गई हैं ।

इस कम में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांकः प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 02.05.2020 द्वारा लॉकडाउन के संबंध में कियान्वयन हेतु जारी गाईड–लाईन्स को **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020** के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, मैं जिला कलक्टर, सिरोही दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक व्यक्ति/समस्त कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों के लिये लागू करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता हूँ :–

A.निषिद्ध गतिविधियॉ	जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर निषेध जारी रहेगाः (नहीं की जा सकेगी) i. चिकित्सा सेवाओं/एयर एम्बुलेन्स/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा। ii. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी अनुमति के अतिरिक्त रेल के द्वारा सभी यात्री आवागमन। iii. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन। iv. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त कारणों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के लिये अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन v. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों अथवा चिकित्सकीय कारणों को छोडकर व्यक्तियों का अर्न्तराज्यीय आवागमन vi. सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे । ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं, डिस्टेन्स लर्निंग के संचालन की सुविधा रहेगी। vii. स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुये व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा Quarantine सुविधा के लिये उपयोग में ली गई आतिथ्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी आतिथ्य सेवायें/होटल इत्यादि viii. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम आदि एवं समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे । ix. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य/अन्य समारोह । x. सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक सम्मेलन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।

B.सामान्य सावधानियॉ (Common Prescriptions) :	जिले के लिए निम्नलिखित मानक सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे : **<u>सार्वजनिक स्थान (Public Spaces) :</u>** 1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर रहेगें। ऐसी स्थिति में, ऐसे व्यक्तियों से स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस सहानूभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे। 2. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्य स्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य हैं। 3. सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (Social Distancing) कम से कम 6 फीट सुनिश्चित करेंगे। 4. शादी से सम्बन्धित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। 5. अन्तिम संस्कार/अन्तिम विधियों से सम्बन्धित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी। 6. सार्वजनिक स्थान का कोई भी संगठन/प्रबन्धक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा । 7. विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति से किये जायेंगें । 8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा । 9. पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विकय पर प्रतिबन्ध रहेगा। 10. शराब विक्रय करने की दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे। 11. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा। **<u>कार्य स्थल (Work Spaces) :</u>** 12. सभी कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। 13. सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेगें एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। 14. कार्य स्थानों में विभिन्न पारियों के बीच एक घंटे का अन्तराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लंच ब्रेक में अन्तराल दिया जायेगा । 15. सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिये संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा। 16. संपूर्ण कार्य स्थलों में शिफटों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। 17. किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं होगा। बडी भौतिक सभाओं से बचना चाहिये। 18. श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा। **<u>विनिर्माण प्रतिष्ठान (Manufacturing Establishments) :</u>** 19. आम सतहों (जहां बारम्बार आना जाना हो अथवा उपयोग में आवे) की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी।

	20. पारियों का अधिव्यापन (Overlap) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ केन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा । 21. अच्छी स्वच्छता विधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार और प्रशिक्षण दिया जाएगा । **संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/संबंधित अधिकारी उक्त वर्णित सावधानियों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में वर्णित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू करना सुनिश्चित करेंगे ।**
A. संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां **(04 May 2020 to 17 May 2020):**	1. **पार्ट ए में निषिद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त सभी गतिविधियां ग्रीन जोन में अनुमत है।** 2. **पार्ट बी में वर्णित सभी सामान्य सावधानियां, सभी व्यक्तियों और कार्य स्थल के प्रभारियों पर आज्ञापक रूप से लागू होगी।** 3. **व्यक्तियों एवं परिवहन का आवागमन –** ए. **बसें** – बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ। **बस डिपो** – 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। **बी. चार पहिया वाहन** – वाहन चालक एवं अधिकतम 3 सवारियां **सी. ऑटो रिक्शा/साईकिल रिक्शा** – चालक एवं दो व्यक्ति **डी. दो पहिया** – अधिकतम दो

उक्त अनुसार जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जावे ताकि मानव जीवन और उसका स्वास्थ्य खतरे में नहीं पडे तथा कोविड–19 के वायरस के खतरे का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सकें। संबंधित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि छूट में समस्त व्यक्तियों/कार्यालयों/समस्त प्रकार के संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में Social Distancing एवं Covid-19 अन्तर्गत पूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जावें।

आमजन केवल आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर जाएं अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहे।

गाईड–लाईन्स में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरुप कियान्विति नहीं किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 अंतर्गत एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 में निर्धारित जुर्माना और दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। सो संबंधित समस्त एवं आमजन सूचित रहे।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

कमांक प.16(12)( )कोरोना/न्याय/20/2071 — दिनांक 03.05.2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
3. उप वन संरक्षक, सिरोही/वन्य जीव आबूपर्वत
4. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/रेवदर
5. जिला स्तरीय अधिकारी.......................................(समस्त), जिला–सिरोही
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
7. तहसीलदार, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/आबूपर्वत
9. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु

जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही